भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2467

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

विदर्भ क्षेत्र में बांधों की सुरक्षा और संरचनात्मक समीक्षा

2467. श्रीमती माया चिंतामन इवनाते:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदर्भ क्षेत्र में पुराने और प्रमुख बांधों की व्यापक सुरक्षा एवं संरचनात्मक समीक्षा कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रस्तावित समय-सीमा तथा संबंधित एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व के अध्ययनों में पुरानी होती अवसंरचना, गाद जमाव अथवा रखरखाव से जुड़े जोखिमों को चिह्नित किया गया है; और

(घ) जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा की अनिश्चितता को देखते हुए दीर्घकालिक बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): बांध सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। इस अधिनियम के अनुसार, विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा, निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और रख-रखाव सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित बांध मालिकों का है। तदनुसार, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित बांधों (लगभग 654 सूचित विनिर्दिष्ट बांधों को शामिल करते हुए) सहित विनिर्दिष्ट बांधों का व्यापक रूप से सुरक्षा और संरचनात्मक आकलन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित नियमित आवधिक मानसून पूर्व और पश्चात के निरीक्षणों, इंस्ट्रूमेंटेशन मॉनीटरिंग और व्यापक बांध सुरक्षा आकलन (सीडीएसई) के माध्यम से आवधिक रूप से किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) के माध्यम से, राज्य में बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम का एक समान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अति-महत्वपूर्ण नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और निगरानी प्रदान करता है। समानांतर में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) दिशानिर्देश, मैनुअल

तैयार करना और बांध सुरक्षा पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के साथ विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए इन प्रयासों को समर्थन करता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित 654 विनिर्दिष्ट बांधों में से 453 बांधों का स्वामित्व जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के पास है, 193 बांधों का स्वामित्व मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र सरकार के पास है और शेष 8 बांधों का स्वामित्व अन्य एजेंसियों के पास है।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुसार, संबंधित बांध मालिकों द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा आकलन किया जाता है। सभी सीडीएसई को पूरा करने की सांविधिक समय सीमा दिसंबर 2026 है।

(ग): बांध मालिकों, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और विशेषज्ञों के पैनलों द्वारा किए गए आवधिक निरीक्षणों, व्यापक बांध सुरक्षा आकलनों, जांच और सुरक्षा मूल्यांकनों ने कुछ पुराने बांधों में कंक्रीट और मैसनरी का ह्रास/क्षय होना, बांध की संरचना या नींव से रिसाव, स्पिलवे और आउटलेट संरचनाओं में खराबी, हाइड्रो मैकेनिकल घटकों का क्षय, निगरानी उपकरण में कमी आदि जैसे मुद्दों की पहचान की है। जलाशयों के लिए अवसादन अध्ययनों से कुछ जलाशयों में भंडारण क्षमता में कमी का भी संकेत मिला है, जिससे जलाशयों का प्रचालन और बाढ़ नियंत्रण प्रभावित हो सकता है।

जहां कहीं भी कमियों की पहचान की जाती है, बांध मालिकों से तकनीकी सिफारिशों के आधार पर पुनर्वास, सुदृढ़ीकरण, मरम्मत, सहायक कार्यों का आधुनिकीकरण, तलछट प्रबंधन अध्ययन और प्रचालन एवं रख-रखाव पद्धतियों में सुधार करने सहित उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ): जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जलविज्ञान संबंधी भिन्नताओं के संदर्भ में दीर्घकालिक बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 और बांध पुनर्वासन और सुधार परियोजना (ड्रिप) के अंतर्गत कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें आवधिक बांध सुरक्षा निरीक्षण, व्यापक बांध सुरक्षा मूलयांकन, बांध उपकरणों की स्थापना और आधुनिकीकरण, आपातकालीन कार्य योजनाओं और संचालन और रखरखाव नियमावली का विकास और अद्यतन तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय, जलाशय रूल कर्व तैयार करना और संशोधन, जल विज्ञान और मौसम संबंधी निगरानी नेटवर्क को मजबूत करना, रियल टाइम निगरानी प्रणाली को अपनाना, बाढ़ पूर्वानुमान में वृद्धि और पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम आकलन अध्ययन, बांध सुरक्षा पेशेवरों और बांध संचालकों की क्षमता निर्माण, जलवायु-रेज़िलियंट डिजाइन मानकों और अनुकूलनीय जलाशय संचालन प्रोटोकॉल को बढ़ावा देना, और जहां भी आवश्यक हो, पुनर्वास और जोखिम उपशमन उपायों का कार्यान्वयन शामिल है।

*****